FORM NO. III

(22)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला–अलवर

.... बनाम ....

मुकदमा........................ नं. .... सन्..............................

	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	16.08.2021 आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 28.09.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 1938 रकबा 0.53, 760 रकबा 0.52, 954रकबा 0.10 हैक्ट0 कुल किता 4 रकबा 1.15 हैक्ट0 वाके ग्राम तिलवाड तहसील रामगढ जिला अलवर को प्रार्थी के हिस्से तक रहन, बैय नही करें। बशर्ते प्रार्थी साधारण/ रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 28.09.2021 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 28.09.2021 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)	

28208

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.9.23	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 12.10.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
12.10.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 07.11.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
07.11.23	वकील प्रार्थी अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक........................ की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रिपोर्ट के दिनांक 21.12.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)
21.12.23	वकील प्रार्थी अनुपस्थित साबिक आदेश दिनांक........................ की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रिपोर्ट व आखिरी मौका दिनांक 05.1.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)
05.1.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलायी गई। सायं 5:00 बजे तक इंतजार किया तथा पुनः आवाज दिलायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थना पत्र-212 RTA वकील व उनके प्रार्थीगण की अदम हाजिरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील मूल वाद के संलग्न हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०